

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं, और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत किया जाना चाहिए तब भारत किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्राक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकलित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए, किसी बचत को भविष्य के संभावित व्यय हेतु नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके आधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक इकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचता है।

हमने वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 73 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1 मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	34,190.79	3,301.51	37,492.30	31,649.77	(-)5,842.53
	II पूंजीगत	7,310.38	350.10	7,660.48	4,660.92	(-)2,999.56
	III ऋण तथा अग्रिम	1,923.83	132.00	2,055.83	1,323.83	(-)732.00
कुल दत्तमत		43,425.00	3,783.61	47,208.61	37,634.52	(-)9,574.09
भारित	IV राजस्व	1,736.45	197.66	1,934.11	1,761.40	(-)172.71
	V पूंजीगत	3.16	0.50	3.66	1.15	(-)2.51
	VI लोक ऋण पुर्नभुगतान	933.14	0.00	933.14	689.65	(-)243.49
कुल भारित		2,672.75	198.16	2,870.91	2,452.20	(-)418.71
आकस्मिक निधि में विनियोग		46,097.75	3,981.77	50,079.52	40,086.72	(-)9,992.80

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-14)

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व अनुभाग के अधीन 66 अनुदानों एवं 43 विनियोगों, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 48 अनुदानों एवं पाँच विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन एक विनियोग (लोक ऋण) में कुल ₹ 10,171.76 करोड़ की बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन पाँच अनुदानों के ₹ 178.96 करोड़ व्यय आधिक्य के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 9,992.80 करोड़ की कुल बचत हुई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखों एवं विनियोग लेखों के माध्यम से शीर्षवार व्यय की स्थिति राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, अधिक बचत एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकार द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए।

2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 49 प्रकरणों से संबंधित 40 अनुदानों एवं दो विनियोग के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के भी 20 प्रतिशत और उसके अधिक की सकल बचत ₹ 6,920.56 करोड़ है, जिसे परिशिष्ट 2.1 (अ) में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 10,171.76 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 24 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित मामलों में बचत ₹ 8,274.57 करोड़ (81 प्रतिशत) हुई जैसा की तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
क- राजस्व दत्तमत						
1	03	पुलिस	2,199.93	2,066.49	133.44	6.07
2	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	441.48	126.00	22.20
3	13	कृषि	725.57	551.87	173.70	23.94
4	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,079.96	951.70	128.26	11.88
5	27	स्कूल शिक्षा	2,895.96	2,175.55	720.41	24.88
6	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	778.20	566.74	211.46	27.17
7	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,571.23	3,355.64	215.59	6.04
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	3,629.46	1,072.97	22.82
9	44	उच्च शिक्षा	530.65	390.16	140.49	26.48
10	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	462.53	319.98	142.55	30.82
11	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	535.93	115.86	17.78
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	398.10	204.78	33.97
13	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	1,079.58	398.96	26.98
14	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	541.88	194.77	347.11	64.06
15	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,029.70	2,542.42	487.28	16.08
16	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	1,320.98	314.78	19.24
		योग	25,454.49	20,520.85	4,933.64	
ख: पूंजीगत दत्तमत						
17	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	457.00	22.00	435.00	95.11
18	13	कृषि	210.20	85.27	124.93	59.43
19	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	282.80	53.24	229.56	81.17
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	1,394.61	626.73	31.00
21	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	268.69	185.03	40.78
22	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	505.18	125.02	19.84
23	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	368.81	67.80	301.01	81.62
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	670.92	296.27	30.63
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	272.85	124.31	31.30

वर्ष 2013-14 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

26	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	00.92	299.08	99.69
27	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	0.00	217.50	100
28	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	133.00	0.00	133.00	100
		योग	6,438.92	3,341.48	3,097.44	
ग: पूंजीगत भारित						
29	--	लोक ऋण	933.14	689.65	243.49	26.09
		योग	933.14	689.65	243.49	
			32,826.55	24,551.98	8,274.57	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-14)

सात अनुदानों के अन्तर्गत 31 उपशीर्षों/योजनाओं में (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ एवं उससे अधिक) बचत पाया गया। विनियोग लेखे 2013-14 में बचत एवं उनके कारण सहित ब्यौरे **परिशिष्ट 2.1 (ब)** में दर्शाया गया है।

2.4.2 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2013-14 के दौरान 50 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 2,191.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल आवंटन व्यय नहीं किये गये थे और इन उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक बचत हुई।

2.4.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के निधियों का पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचत पुर्वानुमानित है से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण है।

हमने देखा कि पुनर्विनियोजन के पश्चात् भी बचत/आधिक्य ₹ एक करोड़ या उससे अधिक था, जिसमें से नौ योजनाओं में बचत/आधिक्य ₹ 20 करोड़ से भी अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है, जो यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित आंकलन नहीं किया गया, पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों के वापसी/संवर्धन के उपरांत भी अनुदानों में अंततः बचत/आधिक्य था।

2.4.4 सारभूत समर्पण/पुनर्विनियोजन

योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित न करने या मंद गति से लागू किये जाने के कारण कुल 320 योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत समर्पण/पुनर्विनियोजन (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किया गया। इन योजनाओं में ₹ 5,485.50 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 4,221.32 करोड़ (76.85 प्रतिशत) समर्पित किया गया था। आगे, 320 योजनाओं में से 136 योजनाओं में (₹ 1,827.96 करोड़) सम्पूर्ण राशि का समर्पण किया गया। जो यह इंगित करता है कि बजट यथोचित दूरदर्शिता के साथ नहीं बनाया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

2.4.5 वास्तविक बचत से अधिक का समर्पण

सत्रह प्रकरणों में समर्पित राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक था, जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। बचत राशि ₹ 1,513.10 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,895.53 करोड़ के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 382.43 करोड़ का अधिक समर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा समर्पण का कारण/स्पष्टीकरण विनियोग लेखे 2013-14 को अंतिम रूप देने तक प्रस्तुत नहीं किये गये (जुलाई 2014)।

2.4.6 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचत

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹ 10,171.76 करोड़ में से केवल ₹ 7,588.33 करोड़ की राशि समर्पित की गई थी, परिणामस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा कुल ₹ 2,583.43 करोड़ (कुल बचत की 25.40 प्रतिशत) की बचतों का समर्पण नहीं किया गया।

उसमें 11 अनुदानों एवं दो विनियोगों के अंतर्गत राशि एक करोड़ या इससे अधिक की बचत हुई परन्तु विभाग द्वारा इसका कोई भी अंश समर्पित नहीं की गई थी। इन प्रकरणों में कुल ₹ 1,805.41 करोड़ (कुल बचत ₹ 10,171.76 करोड़ का 17.74 प्रतिशत) सम्मिलित था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 19 अनुदानों एवं एक विनियोग के अधीन ₹ 4,478.90 करोड़ की कुल बचत में से (समर्पण के पश्चात् प्रत्येक अनुदानों में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक की बचत) प्रावधानित राशि ₹ 1,157.19 करोड़ (उपरोक्त बचत का 25.84 प्रतिशत) समर्पित नहीं किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुल 58 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरणों में निधियों का समर्पण ₹ 10 करोड़ से अधिक) ₹ 6,944.85 करोड़ का समर्पण मार्च 2014 के अंतिम दिवस को किया गया था, जैसा की **परिशिष्ट 2.8** में वर्णित है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों के अवरुद्ध होने से विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का अनुपलब्धता का द्योतक है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत समर्पण किये जाने के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे पूर्ण किये जाने तक (जुलाई 2014) प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.4.7 अविवेकपूर्ण समर्पण

दो अनुदानों (अनुदानों संख्या 06 एवं 12) में ₹ 3,026.04 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,199.04 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 173 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अधीन राशि ₹ 68.07 करोड़ का समर्पण किया गया जो अविवेकपूर्ण था, विवरण **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका -2.3: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय	समर्पित राशि
राजस्व दत्तमत						
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	2,805.88	168.79	52.26
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	393.16	4.21	15.81
योग			3,026.04	3,199.04	173.00	68.07

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-14)

2.4.8 सतत् बचत

अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान, 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का लगातार बचत था जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है, यह बचत वर्ष 2013-14 में कुल संबंधित अनुदानों के 10 से 41 प्रतिशत के मध्य रहा जो दर्शाता है कि बजटीय प्रक्रिया यथार्थ से परे था।

तालिका 2.4 2009-2014 के दौरान सतत् बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान 2013-14	बचत 2013-14	कुल प्रावधान का बचत प्रतिशत	पिछले वर्षों का बचत			
						2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व दत्तमत									
1	10	वन	732.56	73.09	10	23.62	34.10	12.01	73.40
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	323.72	54.68	17	16.82	18.10	13.16	30.78
3	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4702.43	1072.97	23	212.90	295.37	78.74	629.07
4	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.49	26	100.21	34.35	139.25	146.54
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	115.87	18	151.19	165.61	42.91	156.44
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	398.96	27	60.64	117.25	37.19	284.43
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	326.28	84.63	26	39.77	48.81	60.89	56.11
पूंजीगत दत्तमत									
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2021.34	626.73	31	117.83	33.22	30.98	734.34
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	185.03	41	133.50	115.70	232.71	234.80
10	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	124.31	31	52.14	57.55	263.62	149.14
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	184.70	67.02	36	73.92	38.92	57.10	74.24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बड़ी बचत वर्षों से निरंतर जारी रही जो अनुदानों के अंतर्गत अनुचित आंकलन को इंगित करती है। आगे दो अनुदानों यथा अनुसूचित

जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनाओं में बचत की ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:-

अनुदान संख्या 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत बड़ी बचत

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (2202-01-789-112-0703)	8.08	0.02	22.17	4.00	20.63	4.89
2	सूचना एवं संचार तकनीकी (2202-02-789-109-0703)	0	0	7.67	7.10	4.27	3.91
3	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण (2202-02-789-109-0103)	0	0	10.38	1.53	11.28	1.82
4	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय (2210-03-789-103-0103)	4.03	0.82	4.20	1.30	4.83	1.95
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2210-03-789-197-0103)	6.63	2.70	6.57	2.48	8.50	2.68
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) (2210-03-789-198-0103)	21.40	3.35	22.59	8.19	25.84	2.68
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र (2211-789-101-0803)	0	0	14.12	8.88	13.59	2.34
8	वृहद पुलों का निर्माण (5054-03-789-101-0103)	22.00	2.42	36.00	15.52	31.50	19.67
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (5054-03-789-101-0103)	0	0	14.52	1.19	54.00	3.00
10	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना (5054-04-789-337-0313)	0	0	3.85	1.42	30.00	5.01
11	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण (6408-02-789-190-0311)	0	0	21.99	5.66	3.99	1.32

(स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे 2013-14 के अंतिम रूप देने तक (जुलाई 2014) बचत के संबंध में विभाग द्वारा कोई कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित बचत

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (2071-01-800-5499)	1.80	1.80	2.50	2.50	2.50	2.50
2	चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर (2210-01-110-0101-6967)	13.81	1.15	18.24	3.67	20.24	5.24
3	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ संबंध चिकित्सालय (2210-01-110-0101-6997)	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.76

वर्ष 2013-14 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय (2210-02-101-460)	9.96	2.94	6.97	2.01	7.45	1.53
5	चिकित्सा महाविद्यालय (2210-05-105-0101-1352)	27.65	2.29	9.86	4.50	10.94	4.80
6	दंत महाविद्यालय (2210-05-105-0101-1915)	11.83	2.25	13.90	2.79	17.47	6.97
7	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण (4210-04-112-0101-2216)	1.50	1.50	6.75	3.89	2.88	0.90

(स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे 2013-14 के अंतिम रूप देने तक (जुलाई 2014) बचत के संबंध में विभाग द्वारा कोई कारण सूचित नहीं किया गया है।

2.4.9 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह बाध्यकारी है कि अनुदान/विनियोग का व्यय आधिक्य को राज्य विधान मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर नियमित करा लिया जाये, वर्ष 2013-14 के दौरान पाँच अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत प्रावधान से अधिक किया गया व्यय ₹ 178.96 करोड़ जो कि संविधान के धारा 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है, का सारांश तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान सं.	अनुदान/विभागों का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय राशि जिसका नियमितीकरण वांछित है।
राजस्व दत्तमत					
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	2,805.88	168.79
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	393.16	4.21
राजस्व भारित					
3	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.16	0.65	0.50
4	14	पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	0.002	0.006	0.004
5	27	स्कूल शिक्षा विभाग संबंधित व्यय	0.032	0.056	0.024
पूँजीगत दत्तमत					
6	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.00	5.30	5.30
7	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	52.04	52.18	0.13
योग			3,078.27	3,257.23	178.96

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-14)

2.4.10 विगत वर्षों (2000-01 से 2012-13) से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2012-13 तक आधिक्य व्यय ₹ 2,134.43 करोड़ की राशि नियमित किया जाना है जिसे परिशिष्ट 2.9 में दर्शाया गया है। वर्ष दर वर्ष अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का नियमितीकरण न किया जाना विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

2.4.11 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अंगीकृत) के परिच्छेद 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का रख-रखाव किया जाता है व्यय का समरूप प्रवाह आवश्यक है। इसके विपरीत 36 मुख्य शीर्षों में (₹ 3,028.38 करोड़) वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय वर्ष के कुल व्यय (₹ 4,620.39 करोड़) के 65 प्रतिशत से अधिक हुआ जबकि 12 प्रकरणों में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया व्यय (₹ 1,299.63 करोड़) वित्तीय वर्ष 2013-14 के कुल व्यय (₹ 1,926.16 करोड़) के 50 प्रतिशत से भी अधिक रहा। जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

2.5 आकस्मिक निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 के अनुसार अदृष्ट व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से जिस व्यय का राज्य विधान मण्डल से विनियोग नियमों के अंतर्गत अधिकृत किया जाना लंबित है, के अतिरिक्त निधि से कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा। निधि का प्रचालन एक पेशगी के रूप में किया जाता है, इसके संग्रह सीमा ₹ 40 करोड़ की है। उपरोक्त अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के प्रतिकूल आकस्मिक निधि से ₹ 32.84 करोड़ के आहरण के ब्योरा तालिका 2.8 में दिये गये है।

तालिका 2.8 राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ लाख में)

सं. क्र.	विभाग	आकस्मिक निधि से अग्रिम आहरण की प्रकृति	आहरण का माह	अग्रिम राशि
1	2	3	4	5
1	विधि विभाग	नये वाहनों का क्रय	अप्रैल 2013	36.00
2	सामान्य प्रशासन विभाग	विकास यात्रा 2013	अप्रैल 2013	225.00
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	मई 2013	100.00
4	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना	मई 2013	500.00
5	उच्च शिक्षा विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	मई 2013	100.00
6	सामान्य प्रशासन विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	अगस्त 2013	25.00
7	राजस्व विभाग	नवीन राजस्व संभाग के संचालन	अगस्त 2013	35.00
8	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	अगस्त 2013	17.50
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय	अगस्त 2013	2,000.00
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	सितम्बर 2013	100.00
11	विधि और विधायी कार्य विभाग	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण की खरीदी	सितम्बर 2013	70.00
12	ग्रामोद्योग विभाग	कंबल प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन	सितम्बर 2013	70.00
13	सामान्य प्रशासन विभाग	नये वाहनों का क्रय	अक्टूबर 2013	6.00
योग				3,284.50

उपरोक्त वर्णित व्यय से विदित है कि आकस्मिकता निधि से व्यय न तो अप्रत्याशित थे न ही आकस्मिक प्रकृति के थे। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित किया जाना चाहिए था।

2.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-03 पुलिस एवं अनुदान संख्या-30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बजट प्रक्रिया एवं व्यय के नियंत्रण पर समीक्षा की। अनुदानों की समीक्षा विनियोग लेखा एवं बजट नियंत्रण अधिकारी-महानिदेशक पुलिस (अनुदान अनुदान संख्या-03 का बजट नियंत्रण अधिकारी) एवं निदेशक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त (अनुदान संख्या 30 का नियंत्रण अधिकारी) के लेखाओं की नमूना जाँच के आधार पर की गई।

2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

अनुदान संख्या 03 एवं अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत बजट, व्यय और बचतों की राशियों के सारांशीकृत ब्यौरे तालिका 2.9 में संक्षेपित है।

तालिका 2.9 अनुदान संख्या 03 एवं 30 का संक्षेपित विनियोजन

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अतिरिक्त बजट	योग	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में)
						बचत प्रतिशत कुल अनुदान पर
03	राजस्व (मतदेय)	2,076.92	123.01	2,199.93	2,066.49	133.44 (06)
	पूंजी (मतदेय)	46.25	0.00	46.25	35.08	11.17 (24)
30	राजस्व (मतदेय)	560.69	217.51	778.20	566.74	211.46 (27)
	पूंजी (मतदेय)	390.45	टोकन	390.45	369.83	20.62 (05)
योग		3,074.31	340.52	3,414.83	3,038.14	376.69 (11.03)

(स्रोत: विनियोग लेखा वर्ष 2013-14)

2.6.2 तदर्थ आधार पर बजट तैयार किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, बजट आंकलन में एकमुश्त प्रावधान नियम के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अनुदान संख्या 03 के दो उपशीर्षों में राशि ₹ 4.90 करोड़ एवं अनुदान संख्या 30 के पांच उपशीर्षों में राशि ₹ 19.01 करोड़ बिना व्यय किये शासन को संपूर्ण राशि समर्पित की गई, जैसे तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अनुपयोगित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	03	2070-5544- नगर सैनिकों का आधुनिकीकरण	1.90	शून्य	1.90	विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि बजट प्रावधान पुलिस शीर्ष के अधीन किया गया था अतः होमगार्ड आधुनिकीकरण की राशि वर्ष 2013-14 में समर्पित की गई।
2		2055-003-0801-8917- काउन्टर इसरजेंसी एण्ड टेरोरिस्ट स्कूल	3.00	शून्य	3.00	संपूर्ण प्रावधानित राशि ₹ 3 करोड़ अनुमानित के बचत के कारणों से अवगत नहीं कराया गया (जुलाई 2014)।
3	30	2235-60-196-8968 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना	0.31	शून्य	0.31	योजना माह दिसम्बर 2013 से शुरू की गई थी। लाभान्वित की सूची एल.आई.सी. द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराने से राशि समर्पित की गई।
4		2505-60-101-6768 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	0.25	शून्य	0.25	जिला पंचायत से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप अव्यतित राशि समर्पित की गई।
5	30	4515-101-0101-3064 भवन निर्माण	0.40	शून्य	0.40	नये जिला पंचायतों का गठन नहीं होने के कारण भवन निर्माण की राशि समर्पित की गई।
6		4515-102-0101-3064 भवन निर्माण	0.05	शून्य	0.05	विभागीय भवनों में लघु कार्य नहीं किये जाने के कारण राशि समर्पित की गई।
7		5054-04-101-4871 ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	18.00	शून्य	18.00	राज्य में विधान सभा चुनाव के फलस्वरूप आचार संहिता लागू होने के कारण निविदा प्रक्रिया बाधित होने से व्यय नहीं किया गया।
योग			23.91	शून्य	23.91	

जो यह इंगित करता है कि योजनाओं पर किया गया संपूर्ण बजट प्रावधान जो तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, अनावश्यक था बजट अनुमान हेतु मांग तदर्थ आधार पर तैयार किये जाने को इंगित करता है।

2.6.3 बजट प्राक्कलन से अधिक व्यय किया जाना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन लोक सेवाओं पर हुए व्यय पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आवंटन के अधीन रखे।

अनुदान संख्या-03 के सात उपशीर्षों में ₹ 1,347.01 करोड़ के बजट प्रावधान राशि के विरुद्ध ₹ 1,373.31 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.30 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। उसी प्रकार अनुदान संख्या 30 के छह उपशीर्षों में राशि ₹ 330.83 करोड़ बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 399.35 करोड़ का व्यय हुआ। जिसके परिणाम-स्वरूप राशि ₹ 68.52 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसे तालिका 2.11 में दर्शाया गया है। बजट प्रावधान से अधिक राशि का व्यय होना बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 2.11 बजट प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	2	3	4	5	6
1	03	2055-001-3680 राज्य मुख्यालय	39.39	47.02	7.63
2		2055-003-195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ	25.01	32.54	7.53
3		2055-0801-7307 विशेष अधोसंरचना विकास योजना	29.17	29.19	0.02
4		2055-109-4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,048.29	1,054.02	5.73
5		2055-109-6717 प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	95.14	99.83	4.69
6		2070-107-2710 प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	12.70	12.88	0.18
7		2070-107-492- आवाहन पर होने वाला व्यय	97.31	97.83	0.52
योग			1,347.01	1,373.31	26.50
8	30	2515-101-2474 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	5.55	60.13	54.58
9		5054-04-337-0311-7475 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	174.99	180.93	5.94
10		2515-0101-1033 विकास खण्ड कार्यालय	25.79	28.34	2.55
11		2515-800-1208 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	7.92	10.49	2.57
12		2216-03-1050-701-6549 इंदिरा आवास योजना	83.15	85.68	2.53
13		2515-800-4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	33.43	33.78	0.35
योग			330.83	399.35	68.52

(स्रोत: विनियोग लेखा वर्ष 2013-14)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2013-14 में बजट प्रावधान की राशि ₹ 1,288.71 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 1,256.87 करोड़ का व्यय किया गया था एवं शेष राशि ₹ 59.15 करोड़ शासन को समर्पित की गई। संचालक, नगर सैनिक एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपूरक अनुदान राज्य शासन द्वारा नये जिलों में संस्थाओं की स्थापना हेतु प्राप्त किया गया था। निदेशक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा विकास आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि बजट प्रावधान से अधिक व्यय नहीं किया गया।

बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विनियोग लेखों के अनुसार स्पष्ट है की उक्त शीर्षों में अधिक व्यय हुआ।

2.6.4 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 133 के अनुसार अनुपूरक बजट अनुमान की आवश्यकता प्रमाणित किये बिना विधानमंडल के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 30 के तहत शीर्ष 3054-04-105-4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मूल बजट आवंटन राशि ₹ 125 करोड़ थी तथा विभाग द्वारा अनुपूरक प्रावधान राशि ₹ 100 करोड़ भविष्य में आवश्यकता को पूर्वमान के आधार पर प्राप्त किया गया, अंतिम व्यय (₹ 122.50 करोड़) मूल आवंटन विनियोग से कम था। इस प्रकार अनुपूरक अनुदान बिना वास्तविक आवश्यकता के ही प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि राशि ₹ 102.50 करोड़ वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय द्वारा राशि मुक्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया गया था।

2.6.5 असंगत समर्पण/पुनर्विनियोजन के फलस्वरूप व्यय का अधिक/बचत होना

राशियों का पुनर्विनियोजन, अनुदान के एक ईकाई से जहां बचत अनुमानित है से अन्य ईकाई जहाँ अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता है, में हस्तांतरण है।

अनुदान संख्या-30 के तहत पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रूप से किया गया कारणवश अंतिम व्यय में अधिक/बचत प्रदर्शित हुई है जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12 राशियों का आंशिक/अनावश्यक/अपर्याप्त विनियोजन

(₹ लाख में)

लेखाओं के शीर्ष	बजट प्रावधान				व्यय	अधिक (+) बचत (-)
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल प्रावधान		
2515-101-2474 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	7,100.70	0.00	(-) 6,545.57	555.13	6,013.28	5,458.15
2515-0101-1208 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	3,197.50	0.00	(-) 298.96	2,898.54	2,338.29	(-) 560.25
5054-04-337-7475 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	22,500.00	0.002	(-) 5,001.03	17,498.97	18,092.81	593.84
5054-04-337-8650 मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	12,500.00	0.00	4,900.06	17,400.06	16,690.52	(-) 709.54

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने स्पष्ट किया कि उपशीर्ष 2474 के तहत रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण राशि समर्पित की गई। विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपशीर्ष 7475 एवं 8650 में बजट आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विनियोजन लेखाओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त उपशीर्ष में अधिक व्यय हुआ है।

2.6.6 समर्पण/पुनर्विनियोजन प्रस्ताव भेजने में विलम्ब

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 61 के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष में 15 मार्च के पश्चात् वित्त विभाग को नहीं भेजा जाना है।

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान संख्या 03 के तहत कुल राशि ₹ 156.03 करोड़ का समर्पण किया गया, उसमें से विभिन्न मदों की राशि ₹ 117.77 करोड़ का समर्पण दिनांक 31 मार्च 2014 को किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को बड़ी मात्रा में राशियों का समर्पण किये जाने से स्पष्ट है कि समर्पित राशि को किसी अन्य अनुदान/विनियोजन के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था।

2.6.7 अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेषकर अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचा जाना चाहिये।

हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम तिमाही में अनुदान संख्या 03 के आठ योजनाओं में व्यय, कुल व्यय का 50 से 100 प्रतिशत तक किया गया। उसी प्रकार

अनुदान 30 के नौ योजनाओं में वर्ष के अंतिम तिमाही में कुल व्यय का 74 से 100 प्रतिशत रहा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दर्ज है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत शासन द्वारा अंतिम तिमाही में राशि को विमुक्त किये जाने के कारण व्यय हुआ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष के अंत में होने वाले व्यय की तीव्रता वित्तीय प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.6.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना

वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश (अप्रैल 2013) के अनुसार सभी विभाग विभिन्न शीर्ष के अर्न्तगत किये गये व्यय का मिलान त्रैमासिक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं से करेगा।

विभाग द्वारा अनुदान संख्या-30 के तहत 22 उपशीर्षों में राशि ₹ 717.91 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। जबकि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं में उक्त राशि ₹ 770.51 करोड़ दर्ज था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 52.60 करोड़ कुल अंतर था। मिलान न किये गये उपशीर्ष का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2014) कि समय-समय पर आंकड़ों का मिलान किया गया था। संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने स्पष्ट किया कि लेखापाल के पद न भरे जाने से आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया था।

2.6.9 बीमा प्रीमियम राशि ₹ 19.74 करोड़ का अनियमित समायोजन

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए (एस.आर.ई.) जारी दिशा निर्देश के अनुसार नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के बीमा की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को अधिकतम ₹ 1000/- प्रति पुलिस कर्मी के दर से प्रतिवर्ष शत प्रतिशत की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय, रायपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.आर.ई. के तहत नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के बीमा प्रीमियम भुगतान पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही थी जो **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति
2008-09	3.18
2009-10	3.34
2010-11	4.36
2011-12	5.33
2012-13	3.53
2013-14	जानकारी उपलब्ध नहीं
योग	19.74

लेखापरीक्षा जांच से स्पष्ट था कि, उपरोक्त प्रतिपूर्ति का दावा "छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र-सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना 2008" के तहत किए गए

व्यय के विरुद्ध किया गया था। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि में नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान पर व्यय नहीं किया गया। यद्यपि, राशि ₹ 19.74 करोड़ गृह मंत्रालय भारत सरकार से बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त किया था।

2.7 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएँ

असंगत बजट अनुमान के फलस्वरूप अधिक बचत

- वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 50,079.52 करोड़ के विरुद्ध ₹ 9,992.80 करोड़ (20 प्रतिशत) की बचत अनुचित बजट अनुमान को इंगित करता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों में बड़ी बचत राज्य के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में पिछले पांच वर्षों से बचत देखा जा रहा है।

शासकीय विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि भारी बचत, विशेषकर जहां लगातार बचत हो रही हो तथा अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहे हो को रोका जा सकें।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 में 13 मौकों पर आकस्मिक निधि से ₹ 32.84 करोड़ अग्रिम राशि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं होने के बावजूद निकाली गई।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिये दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय को नियमितीकरण की आवश्यकता

- आधिक्य व्यय राशि ₹ 178.96 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-2013 के दौरान हुये आधिक्य व्यय को नियमित किया जाना था।

चालू वर्ष तथा पिछले वर्षों में हुये आधिक्य व्यय के नियमितीकरण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

गृह एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी

- गृह तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट नियमावली का पालन नहीं किये जाने से बजट नियंत्रण के कमी को दर्शाता है।

गृह तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।